

## सहमति पत्र

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान सरकार (रजिस्ट्रार) की ओर से आधार नामांकन कार्य हेतु एनरोलमेंट एजेंसी (EA) नियुक्त है और राज्य में आधार केन्द्र स्थापना व संचालन हेतु अधिकृत है।

मैं.....(नाम/पिता या पति का नाम), उम्र.....(वर्ष),  
निवासी.....(स्थायी पता) यूआईडीएआई, नई दिल्ली द्वारा जारी आधार ऑपरेटर/सुपरवाइजर प्रमाण पत्र धारक हूँ और एनरोलमेंट एजेंसी (EA) के अधीन आधार नामांकन कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

मैं निम्न शर्तों व निर्बन्धनों के अध्यक्षीन आधार नामांकन व अद्यतन का कार्य करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ-

1. यह कि मैं निर्धारित स्थान पर स्वयं के संसाधनों से आधार नामांकन व अद्यतन का कार्य करने के लिए बाध्य रहूंगा।
2. यह कि मुझे यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क ही आधार सेवाओं की एवज में निवासी द्वारा देय होगा। जो सेवाएं निःशुल्क दी जानी है उनका कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा।
3. यह कि मैं नियमानुसार निर्धारित सिक्वोरिटी राशि नामांकन एजेंसी के खाते में जमा करवाऊंगा।
4. यह कि मुझे निर्धारित स्थान एवं समय पर समस्त कार्यों दिवसों (यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित) पर उपस्थित रहकर कार्य करना होगा।
5. यह कि मेरे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपना कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया जायेगा।
6. यह कि मैं वह सभी सूचनाएं आधार केन्द्र पर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करूंगा जिसके निर्देश नामांकन एजेंसी/रजिस्ट्रार द्वारा दिये जायेंगे।
7. यह कि रजिस्ट्रार/नामांकन एजेंसी/जिला प्रशासन या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी समय केन्द्र में प्रवेश कर किसी भी प्रकार का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे ओर मैं निरीक्षण कार्य में पूर्ण सहयोग करूंगा।
8. यह कि मैं वह सभी रिकॉर्ड संधारित कर सुरक्षित रखूंगा जो आरआईएसएल/यूआईडीएआई द्वारा समय-समय निर्धारित/निश्चित किये जाये और मेरे द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित यदि कोई सूचना जिला अथवा राज्य स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा मांगी जाती है तो उसे उपलब्ध कराने के लिए मैं बाध्य रहूंगा।
9. यह कि मेरे द्वारा किये गये सफल नामांकन की निर्धारित शुल्क यूआईडीएआई से प्राप्त होने पर ही रजिस्ट्रार द्वारा बैंक खाते में जमा करवाया जायेगा। इस प्रक्रिया में हुए विलम्ब की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार/नामांकन एजेंसी की नहीं रहेगी।
10. यह कि आधार नामांकन व अद्यतन कार्यों में हुई त्रुटियों/अनियमितताओं व लापरवाहियों के लिए मैं स्वयं ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा। मेरे विरुद्ध की जाने वाली कानूनी व वैधानिक कार्यवाही की जिम्मेदारी मेरी ही रहेगी। त्रुटियों के लिए मुझ पर लगाई गई पेनल्टी का भुगतान मुझे स्वयं करना होगा। यदि इसके लिए मुझे अपनी ओर से कोई राशि जमा करवानी पड़ती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।
11. यह कि यदि मैं भविष्य में आधार नामांकन व अद्यतन कार्य करने का इच्छुक नहीं रहता हूँ तो मैं जिला प्रशासन/नामांकन एजेंसी को सम्यक रूप से सूचित कर अपनी समस्त देयताओं का भुगतान करने के बाद कार्यमुक्त हो सकूंगा। यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूँ तो मेरी सिक्वोरिटी राशि एवं अन्य कोई देयताएं भी जब्त की जा सकेंगी।
12. यह कि जिला प्रशासन/नामांकन एजेंसी किसी भी समय मेरे द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने, अनियमितताओं में लिप्त होना पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से मुझे कार्य से पृथक कर सकेंगे और मेरे स्थान पर अन्य ऑपरेटर को ऑनबोर्ड करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।
13. यह कि यूआईडीएआई, नई दिल्ली व राज्य स्तर पर लिए गये किसी भी नीतिगत निर्णय के आधार पर शर्तों एवं निर्बन्धनों में समय-समय पर परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार/नामांकन

- एजेसी/जिला प्रशासन स्वतंत्र रहेंगे व मैं उन सभी परिवर्तित शर्तों को मानने के लिए बाध्य रहूँगा।
14. यह कि राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा कोई विशिष्ट अभियान संचालित किये जाने की स्थिति में मैं उनके निर्देशानुसार अभियान में सहयोग एवं सहभागिता प्रदान करूँगा।
  15. यह कि मैं आधार (पंजीकरण एवं अपडेट) विनियम 2016 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करूँगा और यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित ऑपरेटर के समस्त कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करूँगा।
  16. यह कि मैं विभाग द्वारा आयोजित समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित रहूँगा एवं आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करूँगा।
  17. यह कि मैं आधार नामांकन अथवा अद्यतन के दौरान निवासियों से लिए गये दस्तावेज तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूँगा।
  18. यह कि मैं ऐसे निवासियों की विशेष सहायता करूँगा जो कि निरक्षर, दिव्यांग अथवा किसी भी प्रकार से निर्योग्यताओं से पीड़ित हो।
  19. यह कि यदि किसी भी विषय पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जिला स्तरीय समिति/जिला कलक्टर का निर्णय मानने के लिए बाध्य रहूँगा।
  20. यह कि यदि किन्ही विशेष कारणों के चलते अल्प अवधि के लिए मेरे द्वारा केन्द्र पर सेवाएं प्रदान करना सम्भव नहीं होगा तो इसके लिए मैं लिखित में सम्बन्धित अधिकारियों को समय पर सूचित करूँगा ताकि उनके द्वारा सेवाओं को निरन्तर रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।

दिनांक:.....

स्थान:.....

हस्ताक्षर:.....

नाम:.....

1. साक्षी.....

2. साक्षी.....